



Neutral Citation No. - 2026:AHC:16174

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या- 13/2026

स्निग्धा धुसिया

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

भारत संघ और एक अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : धीरज कुमार सिंह

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री धीरज कुमार सिंह और प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश सिंह को सुना।
2. प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश सिंह द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि रिट याचिका स्वयं सुनवाई योग्य नहीं हो सकती है क्योंकि रिट याचिकाकर्ता के पास कमांडेंट, सेंट्रल ऑर्डनेंस डिपो (सी.ओ.डी.), छिवकी, इलाहाबाद के समक्ष मूल आवेदन को प्राथमिकता देते हुए वैकल्पिक प्रभावी उपाय है, जिसके पास इस मामले पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है। चूंकि रिट याचिकाकर्ता रिट याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु के कारण पारिवारिक पेंशन का दावा कर रहा है, जो प्रत्यर्थी संख्या 2 के कार्यालय में बढ़ई के रूप में काम कर रहा था।
3. उसी का सामना करते हुए, रिट याचिकाकर्ता वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने का प्रयास करता है, जबकि अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय के समक्ष उचित कार्यवाही को प्राथमिकता देता है।
4. तदनुसार, रिट याचिका का **निस्तारण** रिट याचिकाकर्ता को अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को प्राथमिकता देने की स्वतंत्रता देते हुए किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



22 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!